



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय-ज्ञाप

राज्यपाल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश स्वीड पोस्ट
लखनऊ-226027

संख्या:ई-6330/8-जी0एस0 2018(1)
दिनांक: 13 / 11 / 2020

प्रेषक:

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

✓कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

विषय: केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के अनुसार आयुर्वेद संकाय के अन्तर्गत आने वाले विभागों को पुर्नगठन करते हुए परिनियमावली संशोधन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक: सं0सा0758/20 दिनांक 16.10.2020 जो विशेष कार्याधिकारी मार्ग कुलाधिपति उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीया कुलाधिपति महोदया ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-50(4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियम 7.07 में निर्धारित आयुर्वेद संकाय में आने वाले 7 विभागों को निम्नानुसार 14 विभागों में पुर्नगठित करने हेतु परिनियम संशोधन पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

क्रमांक	वर्तमान विभाग	क्रमांक	संशोधन के पश्चात विभाग
1-	शरीर	1-	किया शरीर
		2-	रचना शरीर
2-	द्रव्यगुण	3-	द्रव्यगुण
3-	रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना	4-	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
4-	काय-चिकित्सा	5-	काय-चिकित्सा

5-	शत्य-शालाक्य	6-	शत्य
7-	शालाक्य	8-	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग
6-	प्रसूति, स्त्री, बालरोग तथा अंगदन्त्र	9-	कीमार मृत्यु (बाल रोग)
10-	अंगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	11-	संहिता एवं सिद्धान्त
7-	आयुर्वेद संहिता और अधारभूत सिद्धान्त	12-	स्वस्थ्यवृत्त एवं योग
13-	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	14-	पंचकर्म

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल हेतु।

(महेश कुमार गुप्ता)

कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

संख्या सा. 959/2020 दिनांक : 07.12.2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
5. पुस्तकाध्यक्ष।
6. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
7. निदेशक, अनुसंधान संस्थान/प्रकाशन संस्थान।
8. परीक्षा नियंत्रक।
9. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब-साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
10. समस्त सहायक कुलसचिव (प्रशासन/लेखा/सम्बद्धता/परीक्षा)।
11. समस्त अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/सम्बद्धता/परीक्षा)।
12. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
13. जनसम्पर्क अधिकारी।
14. सम्बद्ध पत्रावली।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
सं. सं. वि. वि., वाराणसी